आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

लक्ष्मण ठाकुर पिता स्व0 बद्री ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही ओ0पी0 पदमा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-पदमा, मौजा-करमटॉड, थाना नं0-53, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-97, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि अनीता कुमारी पिता प्रभु ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही, ओ0पी0 पदमा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-04(A)/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 343/रा0 दिनांक 31.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, पदमा को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, पदमा के पत्रांक 296 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। सर्वे खतियान में टिकवा हजाम वगैरह के नाम से रैयती दर्ज है। मौजा-करमटॉड के पंजी-II के पृष्ठ संख्या-135, भौल्युम-I पर गुरदयाल हजाम वगैरह के नाम से खाता संख्या-19, रकवा 11.03 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है तथा ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 10.99 एकड़ भूमि बचती है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, पदमा के अनुशंसा के आलोक में लक्ष्मण ठाकुर पिता स्व0 बद्री ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही ओ0पी0 पदमा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-पदमा, मौजा-करमटॉड, थाना नं0-53, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-97, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि अनीता कुमारी पिता प्रभु ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-सूर्यपुरा, पंचायत-रोमी, थाना-बरही, ओ0पी0 पदमा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.05 16:09:19 +05:30
Location: 192.168.0.116